

मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम

प्रलिस के लयि:

मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, आयात नरियात कोड, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन

मेन्स के लयि:

भारतीय अर्थव्यवस्था में नरियात से संबंधित रणनीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने 'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (Merchandise Exports from India Scheme- MEIS) के तहत प्राप्त कुल लाभों की उच्चतम सीमा लागू करने का नरिणय लया है।

प्रमुख बडि:

- MEIS योजना के तहत कसिी आयात नरियात कोड (Import Export Code- IEC) धारक को दया जाने वाला कुल लाभ 01 सतिंबर, 2020 से 31 दसिंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान कयि गए नरियातों के प्रति IEC पर 2 करोड रुपए से अधिक नहीं होगा।

आयात नरियात कोड (Import Export Code- IEC):

- यह कोड केंद्रीय वाणजिय एवं उद्योग मंत्रालय (Union Ministry of Commerce and Industry) के वदिश व्यापार महानदिशक (Director General of Foreign Trade) द्वारा जारी कया जाता है।
- IEC एक 10-अंकीय कोड है जसिकी वैधता जीवन भर की है।
- मुख्य रूप से आयातक, आयात नरियात कोड के बनिा माल आयात नहीं कर सकते हैं और इसी तरह, नरियातक व्यापारी IEC के बनिा नरियात योजना आर्द के लयि DGFT से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- कोई भी IEC धारक जसिने 01 सतिंबर, 2020 से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान कोई नरियात नहीं कया है या एक सतिंबर या उसके बाद नई IEC प्राप्त की है, वे MEIS के तहत कोई भी दावा प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे।
- उपरोक्त उच्चतम सीमा अधोमुखी संशोधन के अधीन होगी ताकि यह सुनिश्चित कया जा सके कि 01 सतिंबर, 2020 से 31 दसिंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान MEIS के तहत कुल दावा राशि भारत सरकार द्वारा नरिधारति 5000 करोड रुपए के नरिधारति आवंटन से अधिक न हो।
- MEIS, [वशि्व व्यापार संगठन](#) (WTO) की अनुपालक नहीं है और MEIS योजना के वापस आने से एक नई योजना का मार्ग प्रशस्त होगा।
- भारत सरकार ने एक नई डब्ल्यूटीओ-अनुपालन योजना (WTO-Compliant Scheme) की घोषणा की है जसिका नाम [नरियात कयि जाने वाले उत्पादों को नरियात शुलक और कर में छूट](#) (Remission of Duties or Taxes on Export Product-RoDTEP) है।

'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम'

(Merchandise Exports from India Scheme- MEIS):

- MEIS को [वदिशी व्यापार नीति: 2015-20](#) के तहत 1 अप्रैल, 2015 को शुरू कया गया था।
- इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र द्वारा उत्पादित/नरिमित उत्पादों सहित भारत में उत्पादित/नरिमित वस्तुओं/उत्पादों के नरियात में शामिल अवसरचनात्मक अक्षमताओं एवं संबंधित लागतों की भरपाई करना है।
- MEIS के तहत, भारत सरकार उत्पाद एवं देश के आधार पर शुलक लाभ प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत पुरस्कार वास्तविक रूप से मुक्त बोर्ड मूल्य (2%, 3% एवं 5%) के प्रतिशत मूल्य के रूप में देय हैं और मूल सीमा शुलक सहित

कई शुल्कों के भुगतान के लिये 'MEIS ड्यूटी क्रेडिट पत्रक' (MEIS Duty Credit Scrip) को स्थानांतरित या उपयोग किया जा सकता है।

- MEIS ने **वदेश व्यापार नीति 2009-14** में मौजूद अन्य पाँच समान प्रोत्साहन योजनाओं को प्रतिस्थापित किया है:
 - फोकस प्रोडक्ट स्कीम (FPS)
 - फोकस मार्केट स्कीम (FMS)
 - मार्केट लिक्विड फोकस मार्केट स्कीम (MLFMS)
 - अवसंरचना प्रोत्साहन योजना
 - विशेष कृषिग्रामीण योजना (VKGUY)

चर्चाएँ:

- MEIS की जगह नई योजना लाने के लिये डेटा की कमी: RoDTEP के तहत दरों को अंतिम रूप देने के लिये वित्त मंत्रालय ने पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव जी. के. पिल्लई (G. K. Pillai) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है कति लगातार स्थानीय लॉकडाउन, परिवहन की अनुपलब्धता एवं लेखा परीक्षकों के गैर-कामकाज के कारण डेटा प्रदान करने में उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन' (Federation of Indian Export Organisations- FIEO) का मानना है कि सितंबर-दिसंबर, 2020 के दौरान नरियात उन आदेशों पर आधारित है जिनमें मौजूदा MEIS लाभ में फैक्ट्रिंग के बाद पहले ही अपनाया गया था।
 - ये लाभ नरियात प्रतिस्पर्धा का हिसा हैं और इसलिये अचानक परिवर्तन नरियातकों के वित्तीय हतियों को प्रभावित करेगा क्योंकि खरीदार अपनी कीमतों में संशोधन नहीं करेंगे।

'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन' (FIEO):

- यह वैश्विक बाज़ार के उदय कक्षेत्र में भारतीय उद्यमियों की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी।
- यह भारत में नरियात संवर्द्धन परिषदों, सामुदायिक बोर्डों एवं विकास प्राधिकरणों का एक सर्वोच्च निकाय है।
- यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे एवं सभी नरियात व्यापार सुविधाओं में लगे हुए समुदायों के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है।

स्रोत: पीआईबी

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/merchandise-exports-from-india-scheme>

